उत्तर प्रदेश शासन
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2
संख्या : 8/2025/409/94-स्टा०नि०-2-2025
लखनऊ, दिनांक : 08 अप्रैल, 2025

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश राज्य में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2, सन् 1899) की धारा-9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के अधीन, अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारा परियोजना के अधीन जिला आगरा व प्रयागराज में इन्टीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स गठित करने के लिए निगमित विशेष प्रयोजन यान एस०पी०वी० के पक्ष में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यू०पी०एस०आई०डी०ए०) द्वारा इक्विटी के रूप में भूमि के अन्तरण हेतु लिखत के निष्पादन पर संदेय **स्टाम्प शुल्क** से छूट प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

अमित गुप्ता
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या : 8/2025/409(1)/94-स्टा०नि०-2-2025, दिनांक: 08 अप्रैल, 2025

हिंदी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे दिनांक 08 अप्रैल, 2025 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड(ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात् गजट की 100 प्रतियाँ आयुक्त स्टाम्प, उ०प्र० लखनऊ को तथा 50 प्रतियाँ शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आशीष कुमार
विशेष सचिव।

संख्या : 8/2025/409(2)/94-स्टा०नि०-2-2025, दिनांक: 08 अप्रैल, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार लेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उ०प्र०, प्रयागराज।
2- स्टॉफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
3- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ०प्र०।
4- प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
5- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
6- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन, उ०प्र० कानपुर।
7- समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
8- महानिरीक्षक निबंधन, उ०प्र०।
9- समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
10- समस्त अपर जिलाधिकारी, (वि०/रा०) पदेन जिला निबंधक, उ०प्र०।
11-समस्त संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त उद्योग, उ०प्र०।
12-समस्त उप महानिरीक्षक निबंधन, उ०प्र०।
13-समस्त सहायक महानिरीक्षक निबंधन/जनपदीय उपायुक्त उद्योग, उ०प्र०।
14-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कुलदीप सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

UTTAR PRADESH SHASAN
STAMP EVAM REGISTRATION ANUBHAG-2

In pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 8/2025/409/94-SR-2-2025 dated 08 April, 2025 :

Notification
Order

No. 8/2025/409/94-SR-2-2025
Lucknow; Dated : 08 April, 2025

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended from time to time in its application to the State of Uttar Pradesh, the Governor, under this notification, is pleased to remit the **stamp duty** payable on the execution of the instrument for transfer of land as equity by the Uttar Pradesh State Industrial Development Authority (U.P.S.I.D.A.) in favour of Special Purpose Vehicle (S.P.V.) incorporated for setting up integrated manufacturing clusters in Agra and Prayagraj district under Amritsar-Kolkata Industrial Corridor Project.

By order,

Amit Gupta
Pramukh Sachiv.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।